**मा0 न्यायालय प्रकरण/अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण**

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

बी0एन0लहरी मार्ग लखनऊ।

परिपत्र संख्या-डीजी-65/2014 दिनांक:लखनऊ:अक्टूबर 17,2014

सेवा में,

1-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

3-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

**विषय**-गम्भीर प्रकृति के अपराध(मेजर बेल) से सम्बन्धित जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रस्तरवार आख्या मा0 उच्च न्यायालय में विवेचनाधिकारियों द्वारा ही दाखिल किया जाना ।

..........

मेरे संज्ञान में लाया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में मेजर बेल से सम्बन्धित प्रस्तरवार आख्या विवेचनाधिकारियों द्वारा स्वयं न प्रस्तुत कर आरक्षी या अन्य उपनिरीक्षक जो मामले से अनभिज्ञ होते हैं, के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है जिसमें शासकीय/अपर शासकीय अधिवक्ताओं को मा0 उच्च न्यायालय में शासन का पक्ष प्रस्तुत करने में असुविधा होती है ।

2- अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि धारा 302/396/304/376ए/376बी/376सी/376डी/376ई तथा 326ए/326बी/306 एवं 460 भा0द0वि0 के प्रकरण पर प्रस्तरवार आख्या विवेचनाधिकारियों द्वारा स्वयं मा0 न्यायालय में प्रस्तुत की जायें । भविष्य में यदि संज्ञान में यह तथ्य आता है कि इन निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है तो ऐसे कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित निर्देश निर्गत करना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक-यथोपरि ।

17/10/14

**(ए0एल0 बनर्जी)**
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:पुलिस पुलिस महानिरीक्षक(अपराध), मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 को उपरोक्त निर्देशों का नियमित अनुश्रवण कराये जाने हेतु प्रेषित ।